बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–(बैठक)–02/2017– 591 खाद्य, पटना/दिनांक– 05.02.18

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– **राज्य में गठित जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, शहरी निकाय के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति की मासिक बैठक का आयोजन करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– **विभागीय अधिसूचना संख्या–3614 दिनांक–25.07.2017**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–29 एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका–7(4) तथा बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016" के आलोक में जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता एवं उचित कार्यकरण हेतु कृत्यकारियों की जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सतर्कता समिति का गठन किया गया है।

विभागीय अधिसूचना सं0–3614 दिनांक–25.07.2017 द्वारा राज्य में गठित सतर्कता समिति के अधिकार, कार्य एवं दायित्व का भी निर्धारण किया गया है। परन्तु जिलें में गठित विभिन्न स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक संबंधी प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिला में गठित सतर्कता समिति की प्रत्येक माह बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–(बैठक)–02/2017– 591 खाद्य, पटना/दिनांक– 05.02.18

प्रतिलिपि – अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

D:\M_2016 Sec 7\PDS_Letter.doc